



अंचल कार्यालय सरैयाहाट  
जमीन मापी वाद संख्या 01 /2017-18

आवेदिका -  
सुकरमुनी मराण्डी  
पति - स्व. चोपमा डुडू  
बनाम  
16 जमातें रैयत  
मौजा - खिरखना

क्र.सं./तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
1	2.	3
<p><u>4.4.17</u></p>	<p>आवेदिका सुकरमुनी मराण्डी पति स्व. चोपमा डुडू मौजा खिरखना के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा खिरखना के जमाबन्दी नं० 20, खेसरा नं० 224 पर मापी कराने हेतु अनुरोध किया गया है।</p> <p>आवेदन पर उल्लेखित तथ्यों की औच रांकर्म एवं अंचल निरीक्षक से कराई गई। प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि मौजा- खिरखना के जम नं० 20 के खतिमी रैयत भातड डुडू के परपोता स्व. चोपमा डुडू की आवेदिका पत्नी लगती है। तदनुसार आवेदिका के उक्त दावाना पर मापी कराने हेतु अनुरोधित है।</p> <p>शतः औच प्रतिवेदन के आलोक में अंचल नाजिर को आदेश दिया जाता है कि आवेदिका सुकरमुनी मराण्डी से मापी शुल्क मूलक 375/- (तीन सौ पंचहत्तर केवल) प्राप्त कर नाजिर रसीद निर्गत करे।</p> <p align="right">               अंचल आधिकारी              सरैयाहाट           </p>	<p>25/04/17 26/04/17</p>
<p><u>12.4.17</u></p>	<p>अतिरिक्त उपस्थापित। आवेदिका सुकरमुनी मराण्डी को खिरखना के-हाल कमीन शुल्क मूलक 375/- (तीन सौ पंचहत्तर) केवल का अंचल नाजिर के जमा बट की है। माजिद रसीद की छाया प्रती काफिलेद के लिये है।</p> <p>शतः निषेधित शर्त को ध्यान में रखते हुए दिनांक 12.4.17 को निरीक्षक निरीक्षण किया गया है। पदाधिकारी को सूचित है।</p> <p>शतः अंचल निरीक्षक को आदेश दिया जाता है कि आवेदिका सुकरमुनी मराण्डी के मापी शुल्क मूलक 375/- (तीन सौ पंचहत्तर) केवल का अंचल नाजिर रसीद निर्गत करे।</p> <p align="right">               अंचल आधिकारी              सरैयाहाट           </p>	